तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर./5856/2005/सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम किशनलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित :

श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप राजकीय अभिभाषक।
विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं, एकपक्षीय कार्यवाही।

--

आदेश

दिनांकः–10.07.2025

1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पत्रावली संख्या 81/2005 में पारित अपने आदेश दिनांक 31–10–2005 के द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

2. रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार चोथ का बरवाडा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् खातेदारी निरस्त करने का न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ईसरदा की आराजी खसरा नम्बर 1410 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाला के रूप में बंदोबस्त सम्वत् 2026 से 2029 में अभिलिखित थी तथा उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 25–05–73 को अनियमित रूप से अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर./5856/2005/सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम किशनलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जो अवैध है तथा नियम विरूद्ध आवंटन की पालना में अप्रार्थी के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 1067 दिनांक 16–09–1973 गैर खातेदारी तथा तत्पश्चात् नामांतरकरण संख्या 2019 दिनांक 27–11–84 खातेदारी की तस्दीक कर दिया गया है जो अनियमित होने से निरस्तनीय है। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया। 3. न्यायालय अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा अपने निर्णय दिनांक 31–10–2005 के द्वारा स्वीकार कर मण्डल को अभिषंशा हेतु प्रेषित किया है। 4. उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया परन्तु बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। 5. हमने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। 6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते हैं प्रश्नगत आराजी का हस्तान्तरण/आवंटन अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। यह कि डी0बी सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–08–2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15–08–1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर./5856/2005/सवाईमाधोपुर</u>** **सरकार बनाम किशनलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुनः राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 नाला दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। 7. हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2026–29 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम इसरदा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1410 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म गै0मु0 नाला दर्ज है। उक्त जमाबंदी पर नामांतरकरण संख्या 1067 के तहत खसरा नम्बर 1410/1 किशनलाल पुत्र भूरा का नोट अंकित है। नकल नामांतरकरण संख्या 1067 संलग्न है। इसके अलावा नकल जमाबंदी सम्वत् 2061–64 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम इसरदा में स्थित खाता संख्या नया 107 में स्थित खसरा नम्बर 5174 रकबा 0.09 है0 एवं खसरा नम्बर 5234 रकबा 0.16 है0 भूमि किशनलाल पुत्र भूरा जाति गूर्जर के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1410 मि0 के हाल खसरा नम्बर 5174 एवं 5234 कायम किये गये हैं। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में गै0मु0 नाला की भूमि थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की गयी। 8– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 तालाब/तलाई/नाला/नदी''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– "4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /एल.आर./5856/2005/सवाईमाधोपुर</u>** **सरकार बनाम किशनलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955" 9. इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः– **16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-** Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in- (ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; 10. प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै0मु0 नाला** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर./5856/2005/सवाईमाधोपुर** **सरकार बनाम किशनलाल**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.

11. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

12– परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम ईसरदा का नामान्तरकरण संख्या 1067 दिनांक 15–09–73 व 2019 दिनांक 27–11–84 बहक अप्रार्थी को निरस्त किया जाकर प्रश्नगत भूमि को पुनः गै0मु0 नाला दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

13– इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य